उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2295 / VII-2 / 151–उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उद्योग / पी0एस0 / आई0डी0 / 07–उद्योग / 2006 ,दिनांक 20.12.2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिये विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 907 / उ0नि0–मैगा प्रोजैक्ट / 08–09 दिनांक 30 मई, 2008 के संन्दर्भ में मै0 पॉलीप्लैक्स कॉरपोरेशन लि0 द्वारा जिला ऊधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर, ग्राम विकमपुर में कय अनुबन्धित कुल 21.488 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
विकमपुर तहसील बाजपुर	227 / 1, 227 / 1 / 2, 228 / 1 / 1, 228 / 1 / 2, 228 / 2 / 1, 228 / 2 / 2, 228 / 2 / 4	21.488

(1) मैगा प्रोजैक्ट के लिए प्रस्तावित ग्राम–विकमपुर, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर स्थित खसरा संख्या–227मि0 तथा 228 मि0 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत **Category-B 'Proposed Industrial Area** के अन्तर्गत कमांक–11 के सम्मुख स्तम्भ–4 में अधिसूचित हैं। विशेष औद्योगिक आस्थान के लिए प्रस्तावित खसरा संख्या–227 / 1, 227 / 1 / 2, 228 / 1 / 1, 228 / 1 / 2, 228 / 2 / 1, 228 / 2 / 2, 228 / 2 / 4 कुल रकबई–21.488 एकड़ भूमि भारत सरकार से अधिसूचित खसरा संख्या–227मि0 तथा 228मि0 के अन्तर्गत ही आवर्त हैं तथा इस भूमि पर प्रस्तावित उत्पाद के विनिर्माण पर भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

(2) **GIDCR-2005** में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों, उपबन्धों विधियों / उपविधियों का पूर्णतः पालन करना होगा।

(3) प्रस्तावित विशेष औद्योगिक क्षेत्र के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय / कय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कयानुबन्धित भूमि के कय विलेख पत्र **(Sale Deed)** नियमतः निष्पादित कराकर **GIDCR-2005** के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात विशेष औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली कम्पनी की प्रस्तावित इकाई का भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

(4) विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जाय।

(5) आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पॉवर कॉरपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

(6) कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

(7) क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग **BOPET or PET Films, BOPP Films & Other Homogeneous Products** के विनिर्माण तथा परियोजना के लिए वांछित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जायेगा।

(8) विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

(9) मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु स्पॉट जॉनिंग के लिये निश्चित मानकों/दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा प्रोजैक्ट में प्रस्तावित पूँजी निवेश 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना होगा।

(10) प्रवर्तक द्वारा परियोजना की स्थापना की प्रति एवं विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(12) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2295 (1)/VII-II/151-उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध, निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, 2, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. मै0 पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लि0, लोहिया हेड रोड, खटीमा, ऊधमसिंहनगर।
15. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव